

न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर  
बड़जलास-दिनेश कुमार यादव, आई.ए.एस

राजस्व मामला संख्या - 97/2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार खीवसर		1. हरिसिंह पुत्र रावतसिंह 2. श्रीमती दसूकंवर पत्नि हरिसिंह जाति राजपूत निवासी विश्णोईयों की ढाणी तहसील खीवसर

उपस्थिति :-

1. प्रार्थी की ओर से वकील राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।
2. अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री भगवानसिंह राठौड़।

निर्णय

दिनांक : 06/02/2020

प्रार्थी तहसीलदार खीवसर ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

वकुलाय की बहस सुनी गई। राजपैरोकार श्री कुन्दसिंह आचीणा ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम पांचलासिद्धा का खसरा नम्बर 671 रकबा 810-19-00 बीघा की किस्म खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2020 में गै.मु. औरण दर्ज है। औरण भूमि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से इसका आवंटन/नियमन किसी भी सूरत में नहीं हो सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में इस भूमि का आवंटन/नियमन प्रतिबंधित है। प्रशासन गांवों के संग अभियान 2002 में कैम्प पांचलासिद्धा में दिनांक 12.06.2002 को खसरा नम्बर 671 में से नया नम्बर 671/2973/1 रकबा 02-16-00 बीघा भूमि का नियमन अप्रार्थी के हक में प्रभारी अधिकारी द्वारा आवंटन सलाहकार समिति की राय से किया गया था। इस समय यह भूमि सरकारी खाते में खसरा नम्बर 3142/2973 के रूप में दर्ज है। आवंटित भूमि का अमल दरामद आवंटन अधिकारी की सनद के अभाव में अभी तक नहीं हुआ है। अप्रार्थीगण को यह भूमि आवंटन/नियमन विधि विरुद्ध प्रतिबंधित भूमि का किया गया है। जिसे खारिज कराने हेतु उपखण्ड अधिकारी खीवसर ने अपने आदेश संख्या राजस्व/1470 दिनांक 12.08.2011 से निर्देशित किया है। जब तक आवंटन आदेश प्रभाव में है तब तक अप्रार्थी को मौके से बेदखल किया जाना कानूनन सही नहीं होने का कथन करते हुए कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 नियम 14 (4) के तहत अप्रार्थीगण को दिनांक 12.06.2002 को किया गया आवंटन ग्राम पांचलासिद्धा खसरा नम्बर 671/2973/1 रकबा 02-16-00 बीघा को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

वकील श्री भगवानसिंह ने अप्रार्थीगण की ओर से बहस में कथन किया की गैर सायलान के विरुद्ध कार्यवाही सरासर गलत ढंग से अमल में लाई गयी है। यह गलत है कि खसरा नम्बर 671 मौजा पांचलासिद्धा किस्म भूमि औरण हो। बल्कि उक्त भूमि बाराणी दायम है जो शुरू से ही काबिल काश्त रहती चली आई है। जिसमें से गैर सायलान का लम्बे समय से कब्जा काश्त होने से 2 बीघा 16 बिस्वा भूमि नियमन की गयी, जबकि मौके पर 20 बीघा पर कब्जा काश्त चलता आ रहा है और अप्रार्थीगण उक्त भूमि में काबिज रहकर काश्त करते आ रहे है व लाखों रुपये लगाकर भूमि को और उपजाऊ बनाया है चारो तरफ तारबंदी की हुई है आस पास चारो तरफ लोगो की खातेदारी के खेताय आये हुये है उनके बीच में यह भूमि है जिससे भी औरण होने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। उक्त भूमि औरण न होकर काबिल काश्त बाराणी दायम है। जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। अप्रार्थीगण भूमिहीन काश्तकार होने व उक्त भूमि

पर उनका कब्जा काश्त लम्बे समय से रहता चला आने व भूमि बाराणी दायम होने से बाद जांच व सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाने के पश्चात् नियमन की गई थी, जो स्वयं तहसीलदार के द्वारा जांच करने के पश्चात् की गई थी। इसलिए अब स्वयं तहसीलदार इस तरह का आवेदन पेश नहीं कर सकता। इतना ही नहीं नियमन से पूर्व तहसीलदार ने पटवारी हल्का व आर.आई. के मौके की रिपोर्ट दिनांक 05.06.2002 ली थी व ग्राम पंचायत में भी इसकी सिफारिश की थी और कैम्प दिनांक 12.06.2002 में कैम्प पांचलासिद्धा में उक्त भूमि नियमन की गई और नियमानुसार फीस रुपये 5738/- जमा करवाई गई। उक्त भूमि वर्तमान में सरकारी खाता खसरा नम्बर 3141/2973 के रूप में दर्ज ना होकर पटवारी हल्का पांचलासिद्धा की रिपोर्ट अनुसार खसरा नम्बर 671/2973/1 दर्ज है। जिस संबंध में पटवारी हल्का द्वारा मौके पर तैयार किये गये नक्शे की प्रति जबाब के साथ पेश की है। आवंटन/नियमन विधिवत प्रक्रिया अपनायी जाकर बाद जांच किया गया था। इसलिए अब उक्त नियमन को निरस्त करने का कोई आधार नहीं है। उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमियों की श्रेणी में नहीं आती है। अप्रार्थीगण का लम्बे समय से कब्जा काश्त रहता चला आने, भूमिहीन काश्तकार होने तथा भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में आने व मौके पर उक्त भूमि काबिज काश्त होने व आस पास में अंगौर या तालाब ना होने व आवंटित भूमि के चारों ओर अन्य लोगो की खातेदारी भूमि आयी होने व इस संबंध में मौके की स्थिति बाबत पटवारी हल्का व आर.आई से रिपोर्ट लेकर उक्त भूमि अप्रार्थीगण को नियमन काबिल मानकर नियमन की गई थी। इस भूमि के अलावा अप्रार्थीगण के आजीविका का अन्य कोई साधन नहीं है न अन्य कोई खातेदारी की जमीन है तथा अप्रार्थीगण पूर्णतया खेती पर ही निर्भर है जिससे उक्त कार्यवाही निरस्त किये जाने का कथन करते हुए गैरसायलान के विरुद्ध कार्यवाही विधि विरुद्ध रूप से अमल में लाई होने से खारिज फरमाई जाने का निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपनी बहस के समर्थन में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 16 की प्रति, डी.बी.सिविल स्पे.अपील संख्या 635/2000 निर्णय दिनांक 11.09.2000 की प्रति, माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा दलपतसिंह बनाम राजस्थान राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 20.09.1995 की प्रति, डी.बी.स्पेशल अपील में पारित उक्त निर्णय दिनांक 11.09.2000 के क्रम में तहसीलदार खीवसर को उपखण्ड अधिकारी नागौर द्वारा प्रेषित पत्र क्रमांक 707 दिनांक 27.05.2004 की प्रति, आर.आर.डी. मार्च 2006 पेज-135-140, आर. आर.डी. नवम्बर 2006 पेज 718 से 723, आर.आर.डी. मार्च 2001 पेज 126से 129, आर.आर.टी. 2007(1) पेज 397-404, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 759 से 762, आर.आर.टी. 2014(2) पेज 1343 से 1345 न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया व वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्तानुसार न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अद्योपांत अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी हरिसिंह व दसूकंवर को मौजा पांचलासिद्धा के खसरा नम्बर 671/2973/1 किस्म बाराणी-2 में से 2.16 बीघा भूमि का प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मूण्डवा प्रशासन गावों के संग उपखण्ड अधिकारी लाडनू द्वारा दिनांक 12.06.2002 को आवंटन किया गया। तहसीलदार खीवसर को प्रेषित पटवारी पांचलासिद्धा की रिपोर्ट दिनांक 06.06.2011 के अनुसार मौके पर आवंटी का रकबा 2.18 बीघा पर कब्जा है। मिसल बन्दोबस्त 2020 में खसरा नम्बर 671 की किस्म गै.मु.0 ओरण दर्ज है। नियमित भूमि की सदन फीस 5/- व भूमि की कीमत रुपये 5733/- जमा है। आवंटी को पूर्व में खसरा नम्बर 671 में से रकबा 20-00 बीघा का आवंटन एम.नं. 187 दिनांक 20.10.73 के द्वारा हुआ जिसके नये खसरा नम्बर 671/2973 बने। तत्पश्चात आवंटित रकबा 20.00 बीघा में से 8.17 बीघा का आवंटन निरस्त कर राजहक में लिया गया तथा नया खसरा नम्बर 671/2973/1 व शुद्धि पत्र से 3142/2943 बना व किस्म बाराणी-2 दर्ज हुई है। यद्यपि इस प्रार्थना पत्र के साथ उक्त शुद्धि पत्र की प्रति प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है। प्रार्थी तहसीलदार खीवसर द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत उक्त आवंटन संबंधित मूल पत्रावली पर उपलब्ध मूल आदेशिका दिनांक 12.08.11 के अनुसार उपखण्ड अधिकारी खीवसर द्वारा निम्नानुसार टिप्पणी अंकित की गई है—“उपर्युक्त पत्रावली का अवलोकन किया गया तथा उक्त पत्रावली में प्रश्नगत भूमि की विस्तृत रिपोर्ट पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक से प्राप्त की गई जिसके अनुसार आवंटन की जाने वाली भूमि मिसल बन्दोबस्त संवत 2020 में गै.मु. ओरण की भूमि रही है, तथा पूर्व में आवंटन किया जाने वाले इस रकबे का आवंटन भी निरस्त हुआ है। ऐसी स्थिति में निरस्त शुदा आवंटन का दुबारा

आवंटन नहीं किया जा सकता तथा वक्त बन्दोबस्त में भूमि की किस्म गै.मु. ओरण होने से नियम 4 के तहत आवंटन योग्य नहीं है, अतः राजस्थान भू-राजस्व (भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत विधि विरुद्ध पारित प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मूण्डवा प्रशासन गावों के संग अभियान-2002, उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ केम्प नागौर के आदेश दिनांक 12.06.2002 को खारिज कराने बाबत आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु तहसीलदार खींवसर को लिखा जावे।”

इस प्रकार उपखण्ड अधिकारी उक्तानुसार टिप्पणी, उपलब्ध रिकार्ड एवं प्रार्थी की ओर से बहस में किये गये कथनों के अनुसार अप्रार्थी को आवंटित भूमि की किस्म बन्दोबस्त संवत् 2020 के अनुसार ओरण दर्ज है, जो कि सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के अनुसार ऐसी भूमि का आवंटन/नियमन प्रतिबंधित है। वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी को आवंटित उक्त प्रश्नगत भूमि की किस्म मिसल बन्दोबस्त संवत् 2020 के समय ओरण दर्ज नहीं होने बाबत कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत हस्तगत प्रकरण में हूबहू चस्पा नहीं होते है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा राजस्थान भू-राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम 1970 के नियम 14(4) प्रस्तुत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थी हरिसिंह व दसूकंवर को मौजा पांचलासिद्धा को मौजा पांचलासिद्धा के खसरा नम्बर 671/2973/1 रकबा 2-16बीघा भूमि का प्रभारी अधिकारी पंचायत समिति मूण्डवा प्रशासन गावों के संग, उपखण्ड अधिकारी लाडनूँ द्वारा दिनांक 12.06.2002 को किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार खींवसर को उक्त प्रश्नगत भूमि विधिवत् रूप से राजकीय तहवील में लेने की कार्यवाही करने के निर्देश दिये जाते है। उक्त आवंटन की मूल पत्रावली तहसीलदार खींवसर को लौटाते हुये निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।



(दिनेश कुमार यादव)  
जिला कलेक्टर, नागौर

